न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या – 338/2015, 334/15, 340/15
27/2016 87/2016 99/2016
नीतू कुमारी, कंचन कुमारी एवं बेबी कुमारी बनाम राज्य एवं रानी कुमारी

– :: आदेश :: –

30-8-17 प्रस्तुत तीन आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–27, 87 एवं 99/2016 नवहट्टा परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत–नवहट्टा पूर्वी के आँगनबाड़ी केन्द्र–अण्डीपाढ़, आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या–80 पर आँगनबाड़ी सेविका चयन में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद संख्या–37, 39, 52/2014–15 में दिनांक 15.06.2015 को पारित आदेश ज्ञापांक–690–1, दिनांक 15.06.2015 के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 338/2015, 334/2015 एवं 340/2015 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3226, दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या–37, 39, 52/2014–15 में दिनांक–15.06.2015 को पारित आदेश ज्ञापांक–690–1, दिनांक–15.06.2015 के विरुद्ध अपीलार्थी नीतू कुमारी पति संजय कुमार सिंह 2. कंचन कुमारी पति नरेश कुमार सिंह एवं 3. श्रीमती बेबी कुमारी पति श्री कमलकिशोर, ग्राम–शाहीडीह, नवहट्टा द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी प्रथम नीतू कुमारी का कहना है कि पंचायत–नवहट्टा पूर्वी टोला–शाहीडीह वार्ड संख्या–04 के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–80 (अण्डीपार) के आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु कुल 07 अभ्यर्थियों ने आवेदन दाखिल किया। प्राप्त आवेदन के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नवहट्टा द्वारा दिनांक 25.01.2012 को औपबंधिक मेधा सूची सूची प्रकाशित किया गया, जिसमें सर्वोच्च प्राप्तांक के आधार पर इनका नाम मेधा क्रम में सर्वोच्च स्थान पर था। पुनः दिनांक 23.06.2014 को आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 07 अभ्यर्थियों में 04 अभ्यर्थी ही आम सभा के समक्ष उपस्थित हुई। मेधा सूची के क्रमांक 01 पर होने के कारण चयन हेतु इनके नाम की घोषणा की गई। तदुपरांत इनके द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति मिलान हेतु आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आम सभा में आपत्ति की मांग किये जाने पर प्रतिपक्षी रानी कुमारी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि इनके पति का बड़े भाई शिक्षक है तथा मानदेय 6000 से ज्यादा है। आम सभा द्वारा प्रस्ताव संख्या–09 एवं 10 पारित कर यह मैंपिंग पंजी में परिवर्तन किया जाय अथवा नहीं एवं चयन किस वर्ष की मार्गदर्शिका को ध्यान में रख कर किया जाय। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया मैंपिंग पंजी में काफी त्रुटि था एवं पोषक क्षेत्र के कई लाभुकों का नाम मैंपिंग पंजी में दर्ज नहीं हैं। अपीलार्थी का आगे कहना है कि इनके द्वारा आम सभा में पूर्व में ही स्पष्ट कर दी थी कि यह प्रस्तावित आँगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करती है एवं जिस वार्ड नं–04 में यह आँगनबाड़ी प्रस्तावित है वह उसी वार्ड की मतदाता है एवं वार्ड नं–04 की मतदाता सूची में उसका एवं उसके पति का नाम क्रमांक–206 एवं 204 पर अंकित है। लाभुकों द्वारा मैपिंग पंजी पर किये गये आपत्ति के मददेनजर ही आम सभा द्वारा वरीय पदाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। मागदर्शन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा महिला पर्यवेक्षिका एवं आँगनबाड़ी सेविका की टीम गठित कर अपने पर्यवेक्षण में मैपिंग पंजी तैयार करें एवं केन्द्र का पोषक क्षेत्र की चौहद्दी के अन्तर्गत सभी परिवारों का सर्वे कर पोषक क्षेत्र में शामिल करने का निदेश दिया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि दिनांक 20.05.2017 को मैंपिंग पंजी में आपत्ति दर्ज करते हुए इनके द्वारा अपना नाम जोड़ने हेतु अनुरोध किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा विभागीय नियमों एवं वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश का पुरे तरह से अनदेखी करते हुए कुल 04 तरह का मैंपिंग पंजी तैयार किया गया एवं अपने मनोकुल मैपिंग पंजी के अनुरूप आम सभा की अनुमति लिए बिना विपक्षी रानी कुमारी का चयन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर सहरसा के पत्रांक–391, दिनांक–16.03.2015 के प्रतिवेदन पर भी निम्न न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि इनका नाम मैंपिंग पंजी में दर्ज नहीं रहने के कारण इनका चयन सेविका के पद पर नहीं किया गया। इनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने हेतु अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी द्वितीय कंचन कुमारी का कहना है कि नवहट्टा पूर्वी टोला शाहीडीह वार्ड नं–04 के आँगनबाड़ी केन्द्र अंडीपार केन्द्र संख्या–80 के चयन में की गई अनियमितता के खिलाफ वाद दायर किया गया है। आगे कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मैंपिंग पंजी को स्पष्ट रूप दिये वगैर विपक्षी का चयन कर लिया। वार्ड संख्या–04 में

30.8.17

आम सभा का नोटिफिकेशन किया तो वार्ड संख्या–03 का वार्ड सदस्य कैलाश सिंह द्वारा आम सभा का आयोजन करना, चयन समिति के सदस्यों का मनोयन करना सरासर अवैध है। जब प्रस्ताव संख्या–01 ही अवैध है तो अन्य प्रस्तावों के आधार पर विपक्षी रानी कुमारी का चयन सेविका के पद पर करना सरासर अवैध है। वार्ड संख्या–03 में पहले से ही आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–70 चल रही है, जिसके अध्यक्ष वार्ड नं–3 के वार्ड सदस्य कैलाश सिंह है। इस स्थिति में वार्ड नं–4 के सेविका चयन की अध्यक्षता कैलाश सिंह द्वारा करना अपने आप में अवैध घोषित करता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आम सभा निर्गत करने में भी चयन मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया। चयन मार्गदर्शिका–2013 के पेज–29 (iii) में अंकित किया गया है कि आम सभा बुलाने से पूर्व इसकी सूचना सार्वजनिक स्थल पर 7 दिन पूर्व चिपका देंगे, जबकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.2014 को सूचना निर्गत की गई और 5 दिन बाद अर्थात 23.06.2014 को ही आम सभा बुला ली गई, जो सरासर अवैध है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि विपक्षी रानी कुमारी के चयन के संबंध में लोगों ने विरोध किया तथा कहा कि इनका भैंसुर सरकारी शिक्षक है तथा उन्हें 6 हजार से अधिक मासिक वेतन मिलता है। फिर भी उनके आपत्ति को नजर अंदाज कर दिया गया। जबकि मार्गदर्शिका–2011 के पेज 01 में रिश्तेदार का अर्थ है, उनके सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री व बहु। फिर भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा गलत ढ़ंग से विपक्षी रानी कुमारी का चयन सेविका पद पर कर दिया गया। इनके द्वारा विपक्षी रानी कुमारी का नियुक्ति रद्द करते हुए अपीलार्थी को अधिकतम अंक एवं अधिक उम्र होने के कारण सेविका के पद पर बहाली करने हेतु परिवाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी तृतीय बेबी कुमारी का कहना है कि इनका नाम सिरियल नम्बर–7 पर रहने के कारण चयन नहीं किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांक–12.06.2015 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चयन प्रक्रिया मार्गदर्शिका, 2010 के आधार पर किया गया है, जो सरासर गलत है। आँगनबाड़ी सेविका का औपबंधिक सूची 12.09.2011 को प्रकाशित किया गया और अंतिम पेज 25.01.2012 को प्रकाशित किया गया तत्पश्चायत आम सभा का आयोजन दिनांक–23.06.2014 को किया गया। उस स्थिति में सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका, 2011 एवं संशोधन 2012 प्रकाशित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिन केन्द्रों पर दिनांक 04.11.2011 तक मेधा सूची फाईनालाईज कर प्रकाशित नहीं की गई है, उन केन्द्रों पर पत्रांक–423, दिनांक 04.11.2011 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी। जिससे स्पष्ट है कि इस इस वाद में चयन की प्रक्रिया मार्गदर्शिका, 2010 के अनुरूप नहीं होकर मार्गदर्शिका, 2011 के अनुसार होना चाहिए जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। आपीलार्थी का आगे कहना है कि सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2011 के कंडिका के उपकंडिका–4.9 में उल्लेख किया गया है कि संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदार का चयन सेविका पद पर नहीं किया जाएगा, जिसमें रिश्तेदार का अर्थ पत्नी, बहु, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री से किया गया है। इस वाद में विपक्षी के पति के बड़े भाई जितेन्द्र कुमार सिंह सरकारी शिक्षक हैं। विवादित आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–80 वार्ड संख्या–4 में अवस्थित है और विपक्षी वार्ड संख्या–03 के स्थाई निवासी है, जहाँ पूर्व में आँगनबाड़ी केन्द्र चल रही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी का चयन होगना नियम के विपरित है और अपीलार्थी वार्ड संख्या–04 का स्थाई निवासी है और आवेदिका का चयन उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र पर होना आवश्यक है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि पिछड़ी जाति के एक मात्र उम्मीदवार अपीलार्थी थी और उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को सेविका के पद पर बहाल करने हेतु अपील दायर किया गया हैं।

प्रतिपक्षी का कहना है कि विवादित आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सर्वप्रथम 2007 में केन्द्र के चौहद्दी अनुसार पोषक क्षेत्र निर्धारण कर मैपिंग पंजी तैयार किया गया एवं विज्ञापन निकाला गया। आम सभा द्वारा श्रीमती सीमा कुमारी का चयन किया गया, जिसके विरुद्ध विपक्षी के देवर अमरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा लोकायुक्त के समक्ष शिकायत किया गया। जिसके विरुद्ध जाँच के क्रम में चयन प्रक्रिया में अनियमितता की वजह से लोकायुक्त कोषांग के पत्रांक–154, दिनांक–07.05.2008 एवं 155 दिनांक–07.05.2008 से सेविका एवं सहायिका का चयन रद्द करते हुए एक माह के अन्दर चयन की प्रक्रिया करने का आदेश दिया गया। काफी अन्तराल के बाद 14 फरवरी, 2011 को विज्ञापन निकाला गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2583, दिनांक–14.06.2010 के विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप चयन की जायेगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मैंपिंग पंजी का विधिवत संधारण करते हुए पत्रांक–164 दिनांक 17.05.2014 द्वारा वार्ड कमिशिनर को फाईनल मैपिंग पंजी का प्रकाशन करने हेतु आदेश दिया गया तथा 25.05.2014 तक आपत्ति दर्ज करने की तिथि घोषित की गई। किन्तु किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि मैपिंग पंजी के संदर्भ में किसी भी अभ्यर्थी का कोई शिकायत नहीं है। तदुपरांत दिनांक 23.06.2014 को आम सभा का आयोजन किया गया। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नवहट्टा की मौजूदगी में पोषक क्षेत्र के लाभुकों के बीच सभी अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया गया। आवेदिका नीतु कुमारी को पोषक क्षेत्र से बाहर की पाकर

चयन से वंचित किया गया। कंचन कुमारी आम सभा में अनुपस्थित थी, इसलिए उनको चयन से वंचित किया गया। बेबी कुमारी जिसका मेधा अंक विपक्षी से कम था तथा वर्ग बाहुल्य से नहीं थी तथा वह अत्यन्त पिछड़ी जाति की थी, जबकि पोषक क्षेत्र का वर्ग बाहुल्य सामान्य वर्ग की है इसलिए उन्हें भी चयन से वंचित कर दिया गया। तत्पश्चात विपक्षी रानी कुमारी का चयन मार्गदर्शिका–2010 में निहित प्रावधान के अनुकूल सभी अहर्त्ता को सही पाकर सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी द्वारा केन्द्र को बाधित करने के उद्देश्य से वाद दायर किया गया है, जबकि इनका चयन मार्गदर्शिका, 2010 के आलोक में किया गया, बावजूद चयन समिति द्वारा वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर चयन पत्र निर्गत करने हेतु बोला गया। तदुपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नवहट्टा द्वारा पत्रांक–200, दिनांक 03.07.2014 द्वारा मार्गदर्शन की माँग जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा से किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पत्रांक–1021, दिनांक–02.08.2014 द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका, 2010 के आलोक में सेविका का चयन करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नवहट्टा द्वारा विभागीय मार्गदर्शिका, 2010 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में ज्ञापांक–265, दिनांक 09.09.2014 द्वारा विपक्षी का चयन किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकारार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपीलवाद को खारीज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका चयन हेतु 07 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ, मेधा सूची तैयार कर दिनांक 23.06.2014 को आम सभा का आयोजन किया गया। आवेदिका नीतु कुमारी को पोषक क्षेत्र से बाहर की पाकर, कंचन कुमारी एवं कुमारी शशि आम सभा में अनुपस्थित रहने तथा मसो० मासुम देवी का उम्र 18 वर्ष से कम रहने के कारण इन चारों को चयन से वंचित किया गया एवं मेधा सूची क्रमांक–05 के अभ्यर्थी श्रीमती रानी कुमारी का चयन 09.09.2014 को किया गया। चूँकिं विपक्षी का चयन वर्ष 2014 में सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका–2010 के आलोक में किया गया, जबकि विभाग द्वारा सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका–2010 को रद्द करते हुए ज्ञापांक–2862, दिनांक–04.11.2011 द्वारा मार्गदर्शिका–2011 को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। विपक्षी का चयन मार्गदर्शिका–2011 में दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना चाहिए था। निम्न न्यायालय द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया। सेविका/सहायिका चयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका–2011 की कंडिका–4.9 में उल्लेख किया गया है कि संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदार का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है–पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री) विपक्षी के पति का भाई शिक्षक है। इसलिए विपक्षी के चयन रद्द किया जाता है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस., सहरसा को निदेश दिया जाता है कि संबंधित केन्द्र पर अद्यतन विभागीय मार्ग निदेश के अनुसार पुनः नये सिरे से पूर्ण रूप से चयन की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चत करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिलाधिकारी,
सहरसा।

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1398-2/ विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
14.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।